नि:शुल्क

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

डीप फ्रीजर, वीसी कूलर, एवं इलेक्ट्रिक पुश कार्ट दुग्ध संघ से एन.डी.डी.बी. योजन्तर्गत प्राप्त कर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करने हेतु आवेदन प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष– 2527061,2527068,2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

डी–फ्रीजर, वीजी कूलर एवं इलेक्ट्रिक पुशकार्ट एन.डी.डी.बी. योजनान्तर्गत प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा ऐसे रूचि रखने वाले व्यक्ति/संस्थानो/दुकानदारों जो सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थो का विक्रय करना चाहते है या वर्तमान में सॉँची पार्लर/एजेंसी/संस्था आदि से विक्रय कर रहे हैं से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। दुग्ध संघ द्वारा योजनान्तर्गत निम्न सामग्री इच्छुक आवेदनकर्ताओं हेतु उपलब्ध हैं जिसके लिए आवश्यक अमानत राशि सामग्री के सम्मुख कॉलम नं.–4 में उल्लेखित हैं :–

विवरण	Brand	Model	अमानत राशि
I	II	III	IV
वीजी कूलर 200	Elanpro	ECG 235 (200 litres)	17500/-
वीजी कूलर 320	Elanpro	ECG 335 (322 Liters)	19500/-
वीजी कूलर 410	Elanpro	ECG 435 (410 Liters)	23500/-
डीप फ्रीजर 200 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-250 SD (210 Liters)	13000/-
डीप फ्रीजर 320 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-350 DD (305 Liters)	16000/-
डीप फ्रीजर 320 ग्लास टॉप	Icemake	IHT-350 DD	18500/-
डीप फ्रीजर 410 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-450 DD (405 Liters)	18500/-
इलेक्ट्रिक पुश कार्ट	Icemake	GLY-200 (200 litres)	175700/-

आवेदक विस्तृत आवेदन नियम व शर्ते दुग्ध संघ की वेबसाईट www.sanchidairy.com के माध्यम से दिनांक 14.04.2026 से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 26.04.2026 तक उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय, मक्सी रोड़, उज्जैन में जमा कर सकते हैं अथवा दुग्ध संघ के ई–मेल sales.uds@sanchidairy.com पर निर्धारित दिनांक तक ई–मेल कर सकते हैं। हितग्राहियो का चयन पात्रता अनुसार ''**पहले आओ पहले पाओ**'' के आधार पर किया जावेगा।

अन्य जानकारी के लिए श्री प्रसाद चव्हाण, मो.नं. 6357362657 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी अथवा समस्त आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
डेयरी प्लांट–मक्सीरोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

(फोटो सलंग्न करना अनिवार्य है)

महोदय,

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. वर्तमान कार्य : ....
4. स्थाई पता : ....
5. व्यवसाय/दुकान का पताः ....
6. आवेदक जो वीजी कूलर प्राप्त करना चाहते हैं वे निम्नलिखित बॉक्स पर क्लिक (√)करें

विवरण	Brand	Model	अमानत राशि	क्लिक
I	II	III	IV	V
वीजी कूलर 200	Elanpro	ECG 235 (200 litres)	Rs. 17500/-	( )
वीजी कूलर 320	Elanpro	ECG 335 (322 Liters)	Rs. 19500/-	( )
वीजी कूलर 410	Elanpro	ECG 435 (410 Liters)	Rs. 23500/-	( )

7. आवेदक जो डीप फ्रीजर प्राप्त करना चाहते हैं वे निम्नलिखित बॉक्स पर क्लिक (√) करें

विवरण	Brand	Model	अमानत राशि	क्लिक
I	II	III	IV	V
डीप फ्रीजर 200 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-250 SD (210 Liters)	13000/-	( )
डीप फ्रीजर 320 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-350 DD (305 Liters)	16000/-	( )
डीप फ्रीजर 320 ग्लास टॉप	Icemake	IHT-350 DD	18500/-	( )
डीप फ्रीजर 410 हार्ड टॉप	Icemake	IHT-450 DD (405 Liters)	18500/-	( )

8. आवेदक जो इलेक्ट्रिक पुश कार्ट प्राप्त करना चाहते हैं वे निम्नलिखित बॉक्स पर क्लिक (√)करें

विवरण	Brand	Model	अमानत राशि	क्लिक
I	II	III	IV	V
इलेक्ट्रिक पुश कार्ट	Icemake	GLY-200 (200 litres)	175700/-	( )

9. मो.नं. : ....

....

10. आधार कार्ड नम्बर : ....

(छायाप्रति प्रति संलग्न करें)

11. बैंक खाता क्रमांक : ....

12. बैंक का नाम : ....

(पास बुक की छायाप्रति / केन्सल चेक संलग्न करना है।)

13. फूड लाईसेंस नम्बर, : .... (छायाप्रति संलग्न करें)

यदि नवीन कार्य प्रारम्भ किया है तो

फूड लाइसेन्स आवेदन की रसीद संलग्न करें।

14. चयनित व्यक्ति को शासन द्वारा वर्तमान / भविष्य में प्रभावशील समस्त कानून / नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मेरे द्वारा गई दी जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य प्रमाणित होती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य आवंटन समाप्त कर जमा अमानत राशि राजसात करने तथा मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..

पता..

–आवेदन की आवश्यक नियम व शर्ते–

1– ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास स्वयं की दुकान/किराये की दुकान/साँची पार्लर/एजेंसी है एवम् वह दुकान/किराये की दुकान/साँची पार्लर/एजेंसी से सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थो का विक्रय बढ़ाने/प्रारंभ करने की रूचि रखते है आवेदन कर सकते हैं।

4– दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये गये डी–फ्रीज/वीजी कूलर/इलेक्ट्रिक पुश कार्ट हस्तान्तरण, किराये पर/विक्रय योग्य नही होगे इन पर मालिकाना हक दुग्ध संघ का ही रहेगा। इनके माध्यम से हितग्राहियों को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थो के दिये गये लक्ष्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

5– योजनान्तर्गत डी–फ्रीज/वीजी कूलर/इलेक्ट्रिक पुश कार्ट हेतु अनुदान राशि के अतिरिक्त शेष राशि अग्रिम रूप से दुग्ध संघ में बतौर अमानत राशि जमा करना होगी।

6– दुग्ध संघ द्वारा दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करने पर दुग्ध संघ हितग्राहियों से योजनान्तर्गत दी गई सामग्री (डी–फ्रीज/वीजी कूलर/इलेक्ट्रिक पुश कार्ट) वापस लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा, सामग्री वापसी करने पर हितग्राही द्वारा सामग्री के रखरखाव की स्थिति के अनुसार ही दुग्ध संघ में जमा राशि वापस की जायेगी।

7– आवेदनकर्ता को संलग्न प्रारूप में दुग्ध संघ के साथ MOU निष्पादित करना होगा।

8– आवदेनकर्ता आवेदन करने के पूर्व यदि चाहे तो उपलब्ध सामग्री का अवलोकन दुग्ध संघ मुख्यालय उज्जैन में कर सकते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..

पता..

(प्रारूप)

एन.डी.डी.बी. द्वारा विपणन गतिविधियों को मजबूत करने हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान के तहत् आवंटित वीसी कूलर/डीप फ्रीजर/पुश कार्ट के लिये MoU

यह समझौता ज्ञापन आज दिनांक...................... को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जाएगा), जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, के एक पक्ष तथा..(जिसे आगे द्वितीय पक्ष/विक्रेता/वितरक कहा जाएगा), जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी, वारिस एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, के बीच संपादित किया जाता है।

जहाँ कि, द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के भंडारण एवं विक्रय हेतु विज़ी कूलर/डीप फ्रीज़र/पुश कार्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिसे निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया है।
नियम एवं शर्तें

1. उपकरण उपलब्धता

दुग्ध संघ द्वारा NPDD-B (JICA DTC) योजना के अंतर्गत विक्रेता/वितरक को केवल सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के भंडारण एवं विक्रय हेतु विज़ी कूलर /डीप फ्रीज़र/पुश कार्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

2. स्वामित्व

- उपकरण का स्वामित्व पूर्णतः दुग्ध संघ के पास रहेगा।
- सुरक्षा जमा राशि जमा करने से विक्रेता को किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- विक्रेता केवल उपकरण का संरक्षक (Custodian) होगा।

3. सुरक्षा जमा राशि

- विक्रेता को उपकरण की कुल लागत का 80% सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा।

- यह कि सामग्री प्राप्ति के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष द्वारा सामग्री प्रथम पक्ष को वापस की जाती हैं तो पहले, दुसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवे वर्ष हेतु क्रम से 20, 40, 60, 80 एवं 100 प्रतिशत का कटौत्रा जमा अमानत राशि से किया जावेगा।
- पांच वर्ष पूर्ण होने पर सामग्री का स्वामित्व द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा तथा जमा अमानत राशि दुग्ध संघ की होगी। जो भविष्य में द्वितीय पक्ष को वापसी योग्य नही होगी।

4. उपयोग की शर्तें

- उपकरण का उपयोग केवल दुग्ध संघ के उत्पादों के लिए किया जाएगा।
- अन्य किसी कंपनी के उत्पादों का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- बिना अनुमति उपकरण का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- बिजली एवं संचालन से संबंधित सभी खर्च विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- दुग्ध संघ द्वारा किसी प्रकार का किराया/लीज/उपयोग शुल्क देय नहीं होगा।

5. रखरखाव एवं देखभाल

- उपकरण का उचित उपयोग एवं नियमित रखरखाव विक्रेता द्वारा किया जाएगा।
- लापरवाही, दुरुपयोग या गलत संचालन से होने वाली क्षति की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी।
- प्रमुख मरम्मत दुग्ध संघ की नीति अनुसार द्वितीय पक्ष के व्यय पर की जा सकती है।

6. मूल्यह्रास (Depreciation)

- उपकरण को मूल्यह्रास योग्य संपत्ति माना जाएगा।
- मूल्यह्रास 20% प्रति वर्ष घटती शेष राशि पद्धति (Reducing Balance Method) से किया जाएगा।
- 5 वर्ष पश्चात उपकरण का मूल्य शून्य माना जाएगा।
- 5 वर्ष से पूर्व वापसी/क्षति की स्थिति में समायोजन मूल्यह्रास के आधार पर किया जाएगा।

7. ब्रांडिंग

विक्रेता दुग्ध संघ द्वारा लगाए गए किसी भी लोगो, ब्रांडिंग या स्टिकर को हटाएगा, बदलेगा या क्षति नहीं पहुंचाएगा।

8. निरीक्षण

दुग्ध संघ को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के उपकरण का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. वापसी/वापसी का अधिकार

दुग्ध संघ को दुरुपयोग, नियमों के उल्लंघन या व्यवसाय बंद होने की स्थिति में उपकरण वापस लेने का अधिकार होगा।

10. स्वीकृति

इस समझौते पर हस्ताक्षर कर द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि उसने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं तथा उनका पालन करेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष (विक्रेता/वितरक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन	....
गवाह प्रथम पक्ष	गवाह द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर............................... नाम..................................... पदनाम................................	हस्ताक्षर............................... नाम..................................... पता.....................................